

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1171 / FP/UK/OTHER/9741/2015 दिनांक: देहरादून

17

नवम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी० स्पांन का स्टील गार्डर पुल के निर्माण हेतु 0.224 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड, लोक विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय, देहरादून के कार्यालय की पत्र सं०-8बी.यू.सी. /09/65/2016/एफ० सी०/2323, दिनांक-19.02.2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS 19.02.2021 के क्रम में चाही गयी सूचना उप वन संरक्षक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के पत्रांक 758/12-1 दिनांक 18.10.2021 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	विषयांकित प्रकरण लगभग पांच वर्ष पुराना है तथा इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक-01.03.2018 की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा वह भी अपूर्ण है। नोडल कार्यालय से अनुरोध है कि वह प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर पूर्ण उत्तर एक साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग एवं उप वन संरक्षक से आख्या प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
2	In Reply to point No. 06, shape of the KML file of proposed area is not matching with the shape shown in the digital map. State Government may upload the KML file and digital map matching shape of proposed area at C (ii) and C (iv) Part I online	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन के०एम०एल० फाईल पुनः अपलोड कर दी गई है।
3	In reply to point No. 12, no corrections have been found. State Govt. May provide the correct reply to point No. 12 of this office EDS dt. 01.03.2018.	उक्त लौह मोटर सेतु का निर्माण गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पा०, पुरोला के वन्य जीव विहार, संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
4	In reply to point No. 13 State Government is requested to upload this minutes of this meeting of the NBWL at para I in Part I.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा एन०वी०डब्ल्यू०एल० के मिनट्स पार्ट-1 में अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिये गये हैं।
5	Density mentioned in NPV calculation sheet is 0.15 which is open forest and rate charged for dense forest, DFO may calculate NPV as per the guideline regarding rate of NPV for area falls in National Park/Wildlife Sanctuary. State Government may clarify this disparity.	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०-394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पांन का लौह मोटर सेतु का निर्माण गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पा०, पुरोला के वन्य जीव विहार के संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत होना है, जिस कारण संरक्षित क्षेत्र का 5 गुना एन०पी०वी० की धनराशि जमा होनी है। (संलग्नक-1)
6	It is seen that no comments have been made by DFO against para 2, 3, 4, & 5.	उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी द्वारा उक्त बिन्दुओं हेतु टिप्पणी निम्न प्रकार है:- बिन्दु सं० 2-प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उक्त लौह सेतु

		निर्माण एवं संरक्षण हेतु उक्त वन भूमि को 99 वर्ष के लिये लीज में लिया गया है। बिन्दु सं0 3- यूजर ऐजेन्सी द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। बिन्दु सं0 4-प्रश्नगत लौह सेतु का निर्माण ग्राम धौला में किया जा रहा है, चूँकि इस सेतु के निर्माण से हडवाडी, बरी, सेवा में निवास करने वाले ग्रामवासी लाभान्वित होंगे, इसलिए वन अधिकार अधिनियम के तहत इन ग्रामों का उल्लेख किया गया है। बिन्दु सं0 5-प्रश्नगत सेतु निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण में प्रस्तावित क्षेत्र 1 है0 से भी कम है, इसलिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है किन्तु प्रश्नगत सेतु निर्माण में प्रभावित होने वाली वनस्पति के सापेक्ष 224 पौधों का प्राक्कलन संलग्न किया गया है। (संलग्नक-2)
7	Two different SIRs of DFO have been found uploaded at para 15 & 16. State Government may remove the old report	उक्त आपत्ति का निराकरण पार्ट-2 में कर दिया गया है।
8	DFO mentioned that the approval is of 57th meeting of NBWL, which seems to be of 36th meeting. State Government may correct the same in the SIR.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनापत्ति एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की 36 वी0 मितिंग में ली गयी है।
9	In reply to point No. 12 it is mentioned that the status of the land have been provided online by the user agency. Which is required to be the concerned DFO. State Govt. May submit clarification in this regard.	प्रश्नगत निर्माण स्थल की भूमि गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला उत्तरकाशी के अन्तर्गत पर्वत बीट के दोणी क0स0 1 तथा सेवा बीट के हडवाडी क0स0 3 के अन्तर्गत आती है जो कि गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला का संरक्षित क्षेत्र है।
10	In component wise breakup only bridge has been mentioned indicating land as 0.224 ha, the approach and road on both sides of bridge is either not included or not clearly mentioned in the proposal. Therefore, a clarification on this is required to be submitted by the State Government.	सम्बन्धित आपत्ति में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा टिप्पणी की गई है कि सेतु के बाँयी ओर वन विभाग का मोटर मार्ग निर्मित है तथा दाहिनी ओर मोटर मार्ग की स्वीकृति पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड, पुरोला के अन्तर्गत प्राप्त है जिसकी वनभूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड, पुरोला द्वारा की जा रही है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1171/ FP/UK/OTHER/9741/2015 /दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उप वन संरक्षक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के पत्रांक 758/12-1 दिनांक 18.10.2021 के क्रम में।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।